संख्यात 63/2016/1543/71-2-16-57/2016

प्रेषक,

अरिन्दतम भट्टाचार्य़
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्व विद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सापशिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषय- वित्तीवय वर्ष 2016-17 में के0जी0एम0यू0 के कार्मिकों के वेतन एवं अन्य आवश्य क व्युयों के वहन हेतु वित्तीाय स्वीतकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तर अधिकारी, के0जी0एम0यू0 के पत्र संख्या -1024/लेखा/2016दिनांक 07-04-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीाय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या31 के अंतर्गत आयोजनेत्तीर पक्ष में के0जी0एम0यू0 के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्यन (वेतन) मद में प्राविधानित पूर्ण धनराशि रू0 305,00,00,000/- (रूपया तीन सौ पाच करोड मात्र) तथा अन्य6 आवश्यमक व्य यों के वहन हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 69.00 करोड के सापेक्ष धनराशि रू0 34,50,00,000/- (रूपया चौतीस करोड पचास लाख मात्र) एवं आयोजनागत पक्ष में 31-सहायता अनुदान-सामान्यय (वेतन) मद में प्राविधानित पूर्ण धनराशि रू0 25,00,00,000/- (रूपया पचीस करोड मात्र) को निम्नधलिखितशर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त6किये जाने की श्री राज्यपपालमहोदय सहर्ष स्वी0कृतिप्रदान करते है:-

1. स्वीयकृत्की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीयकृतधनराशि का आहरण वास्त्विक आवश्यलकतानुसार एवं व्येय नियमानुसार किया जायेगा त था इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वींकृत की जा रही है। किसी अन्यधमद में व्यरय वित्तीदय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्तद विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीजकृत धनराशि का व्याय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्तय निर्गत किया जाना सम्भजव नहीं होगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्तर अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्साधशिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताभक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 201 6-17 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्व-विद्यालय, उत्तपर प्रदेश-आयोजनेत्तार-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से रू0 34,50,00,000/- एवं 31 -सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) से रू0 305,00,00,000/- तथा आयोजनागत-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) से रू0 25,00,00,000/- की धनराशि" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तापक्षर की आवश्यनकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यासपित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(अरिन्दनम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्याक63 /2016/1543(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नमलिखित्को सूचनार्थ एवं आवश्येक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा0शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्तद अधिकारी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
5. वित्तद (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 ।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
8. गार्ड फाइल/निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री भट्टाचार्य) उक्ता शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्तापक्षर की आवश्यकतानहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यासपित की जा सकती है ।